Speed Post

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. IB/2/2018/STGOR/SEHRMT/RU-III **Date: 19.07.2019**

To,

The Managing Director,
M/s Ferro Scrap Nigam Ltd.
F.S.N.L. Bhawan, Equipment Chowk,
Central Avenue, Post Box No. 37, Bhilai,
District – Durg, Chattisgarh - 490001

Sub: **Minutes of the Meeting held on 18.06.2019 under Chairmanship of Hon'ble Vice-Chairperson of National Commission for Scheduled Tribes (NCST) in case of** Representation dated 22.04.2018 of Shri Isidore Bilung, At-Ambedkar Nagar, Basanti Colony, Rourkela, Odisha regarding alleged harassment/mental torture without following due procedure in respect of Shri Isidore Bilung T.No. –R/532 M/s Ferro Scrap Nigam Ltd.

I am directed to enclose herewith **Minutes of the Meeting** held on **18.06.2019** on the above cited subject.

It is, requested that action taken report in the matter may please be sent to the Commission within months' time.

Encl: As above.

Yours faithfully,

19/7/19

(Dr. Lalit Latta)
Director

Copy for information:

1. **Shri Isidore Bilung,**
   At-Ambedkar Nagar,
   Basanti Colony,
   Rourkela, Odisha-769012

2. PS to Hon'ble Vice-Chairperson, NCST

3. SAS, NIC, NCST upload on the web site.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F. No.- IB/2/2018/STGOR/SEHRMT/RU - III)

श्री ईशीडोर बिलंग, अंबेडकर नगर, बसंती कॉलोनी, राउरकेला, ओडिशा द्वारा फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना पदावनति करने और मानसिक उत्पीड़न करने के संबंध में दिए गए अभ्यावेदन के मामले में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में दिनांक 18.06.2019 को आयोग में आयोजित बैठक का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 18.06.2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

---

1. श्री ईशीडोर बिलंग, अंबेडकर नगर, बसंती कॉलोनी, राउरकेला, ओडिशा द्वारा फेरो स्क्रैप में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना पदावनति करने और मानसिक उत्पीड़न करने के संबंध में अभ्यावेदन दिया था। आयोग द्वारा मामले में संज्ञान लेकर दिनांक 10.07.2018 को नोटिस भेजकर जानकारी मांगी गई थी।
2. फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड द्वारा दिनांक 07.08.18 को जवाब प्रस्तुत किया गया था जिसमें बताया गया था कि कंपनी इस्पात मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का उपक्रम है। कंपनी द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के संबंध में सरकार के दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है। श्री ईशीडोर बिलंग का यह कथन गलत है कि कंपनी प्रबंधन द्वारा उनका पदावनति किया गया। उनका कभी पदावनति नहीं किया गया बल्कि उनके अनुरोध पर उनके पद को परिवर्तित किया गया जिसमें उनका वेतन और ग्रेड समान था। जवाब की प्रति अभ्यावेदक को भेजी गई थी।
3. मामले में माननीय उपाध्यक्ष महोदया द्वारा दिनांक 18.06.2019 को बैठक आहूत की गई। इस संबंध में प्रबंध निदेशक, फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड को नोटिस जारी की गई थी।
4. आयोग ने पहले अभ्यावेदक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा, अभ्यावेदक ने बताया कि प्रबंधन द्वारा बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के सहायक III (एम-I ग्रेड) से स्टोरकीपर के

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

रूप में उनका पदावनति कर दिया गया। यह पदावनति जानबूझकर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का उत्पीड़न करने के लिए किया गया।

5. फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के अधिकारी ने बताया कि उनके करियर के विकास के लिए इनको एम-I ग्रेड में ले लिया गया। एम-I ग्रेड में लेने के बाद ये स्टोर में कार्य करते रहें क्योंकि उनका अनुभव फील्ड का था। कंपनी के संचालनात्मक जरुरतों के अनुसार इन्हें स्टोरकीपर का पद दिया गया। इसमें उनके वेतन-भत्ता का कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने एकं आवेदन दिया कि मुझे वापस पूर्व पद पर नियुक्त किया जाए। इसके बाद उनके मूल कैडर ऑपरेशन में भेज दिया गया। ये मंत्रालयी विभाग में पदास्थापन चाहते हैं। इस संबंध में उन्हें बताया गया कि कंपनी को आवेदन दीजिए इस पर विचार किया जाएगा।
6. अभ्यावेदक ने बताया कि उन्हें पुनः कंपनी द्वारा एम-I ग्रेड में रखा जाए और प्रबंधन द्वारा भविष्य किसी प्रकार का उत्पीड़न नहीं किया जाए।
7. दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात आयोग ने निम्नलिखित अनुशंसा की-
   - अभ्यावेदक ईशीडोर बिलंग, फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड प्रबंधन को अपना अनुरोध पत्र प्रस्तुत करें। कंपनी द्वारा उनके अनुरोध पत्र पर विचार करते हुए उन्हें उनके पूर्व कैडर एम-I ग्रेड में वापस लिया जाए।

उपरोक्त अनुशंसा के अनुपालन में कार्यवृत्त प्राप्त होने के 1 माह के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट से आयोग को अवगत कराएं ।

Auiuy

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F. No.- IB/2/2018/STGOR/SEHRMT/RU - III)

श्री ईशीडोर बिलंग, अंबेडकर नगर, बसंती कॉलोनी, राउरकेला, ओडिशा द्वारा फेरो स्क्रैप में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना पदावनति करने और मानसिक उत्पीड़न करने के संबंध में दिए गए अभ्यावेदन के मामले में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में दिनांक 18.06.2019 को आयोग में आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों/कर्मियों की सूची-

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**
  - (1.) सुश्री अनुसुईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष
  - (2.) डॉ ललित लट्टा, निदेशक
  - (3.) श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष महोदया के निजी सचिव
  - (4.) श्री आलोक कुमार द्विवेदी, परामर्शक
- **फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड**
  - (1.) श्री वी.वी सत्यनारायण, जीएम
  - (2.) श्री पंकज त्यागी, एजीएम
- **अभ्यावेदक**
  - (1.) श्री ईशीडोर बिलंग